Scholarship to SCs/STs students in Bihar

716. SHRI RAMESHWAR PASWAN : Will the Minister of WELFARE be pleased to state what are the details of the amount of scholarship which was given by the Central Government during the last three years to the students belonging to scheduled castes and scheduled tribes community who are studying in various colleges of Bihar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : Welfare Ministry released Central Assistance of Rs. 102.562 lakh, Rs. 799.184 lakh and Rs. 590.144 lakh during 1991-92,1992-93 and 1993-94, respectively to Government of Bihar, under the Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarships for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये बिहार को उपलब्ध कराई गई धनराशि

717. श्री रामेश्वर पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि का उस प्रयोजन के लिए पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. थंगकाबालू) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (सीधे देखिये)

(ग) जहां कहीं केन्द्रीय सहायता के उपयोग न किए जाने या उसके केवल कुछ भाग के उपयोग किए जाने के मामले इस मंत्रालय के नोटिस में आते हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष में निर्मुक्त की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की गणना राज्य सरकार के पास खर्च न की गई बकाया राशि का समायोजन करने के बाद की जाती है ।

हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बिहार राज्य सरकार अपने पास पड़ी खर्च न की गई राशि का उपयोग नहीं कर लेती तब तक आगे कोई राशि निर्मुक्त नहीं की जाएगी ।

कल्याण मंत्री ने बिहार के मुख्य मंत्री को यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए संदर्भाधीन विवरणों के लिए केन्द्रीय सहायता की खर्च न की गई बकाया राशि का उपयोग तेजी से करें ।

विवरण

कल्याण मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं के तहत गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्मुक्त और उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता की राशि	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता
1	अनुसूचित जाति के लिये विशेष संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	6621.02	1195.21
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियां	1491.38	991.48
3	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	92.03	13 37
4	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	063.00	शून्य
5	राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की शेयर पूंजी में केन्द्र का अंशदान	276.66	163.66
6	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधि-नियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना	58.45	58.45
7	अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये कोचिंग एवं एलाइड योजना	18.07	5.86
8	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये बुक बैंक	19.41	8.12
9	अनुसूचित जाति के लिये बालिका होस्टल्स	138.69	72.98
10	अनुसूचित जाति के लिये बाल होस्टल्स	423.51	311.96
	कुल :	9802.72	2821.01

टी.डी. डिवीजन

(रु० लाखों में)

क्र.स.	योजना का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता	अभियुक्ति
1	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	31.78	शून्य	निधियों के उपयोग किये जाने की सूचना नहीं भेजी गई है और इसलिये इसे उपयोग न कराई राशि के रूप में माना गया है।
2	पेड़ों के तेल बीजों और वन मूल का विकास	17.39	शून्य	
3	लघु वन उत्पाद कार्यों के लिये राज्य जनजाति सहकारी निगम	50.00	शून्य	
4	विशेष केन्द्रीय सहायता	9883.83	शून्य	
5	संविधान के पहले परन्तुक के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	1444.05	शून्य	
6	बालिक होस्टल	68.82	शून्य	
	कुल :	11495.87		